न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
53 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	14.06.2023	28.02.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विपुल मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल निवासी ज्योति मार्केट देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ.मैसर्स ताराचन्द बनवारी लाल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक। पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 7221833333।
2–मैसर्स ताराचन्द बनवारी लाल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक।
3–श्री पवन कुमार हाडा निवासी मकान न 0 72 गली नं0 7 सरस्वती कॉलोनी बारा रोड कोटा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा एसोसिएटस प्लॉट नं03 टैगोर नगर, होली फैमिली हॉस्पिटल के पास बोरखेडा कोटा राज0। पिनकोड–324001।
4–मैसर्स कृष्णा एसोसिएटस प्लॉट नं03 टैगोर नगर, होली फैमिली हॉस्पिटल के पास बोरखेडा कोटा राज0। पिनकोड–324001।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री विपुल मंगल स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 28/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.11.2022 को समय सायं 04:00 पी.एम. पर मैसर्स ताराचन्द बनवारी लाल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री विपुल मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स ताराचन्द बनवारी लाल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ गुड़, तेल, घी, कन्फैक्शनरी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री विपुल मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विपुल मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एक मात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य वस्तु का बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु गुड,तेल, कन्फैक्शनरी, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान में कागज के 2 कार्टून में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 25–25 ग्राम **शहद (वी–प्योर ब्रान्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री विपुल मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विपुल मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में कागज के 2 कार्टून में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 25–25 ग्राम पैक में से **शहद (वी–प्योर ब्रान्ड)** जिसके बैंच नम्बर वी–1238 एवं पैंकिग की दिनांक 12.02.2022 थी, के 25–25 ग्राम पैक के 48 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शहद (वी–प्योर ब्रान्ड)** 48 मूल पैक प्रत्येक 25–25 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों नियमानुसार चार भाग तैयार कर, प्रत्येक भाग में 12–12 नग प्रत्येक 25–25 ग्राम पैक को अलग–अलग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3341 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3341 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री विपुल मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल मंगल मैसर्स ताराचन्द बनवारी लाल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक मौके पर बतौर वारन्टी कृष्णा एसोसिएटस प्लॉट नं03 टैगोर नगर, होली फैमिली हॉस्पिटल के पास बोरखेडा कोटा का खरीद बिल क्रमांक/इन्वायस नं0 वीपी–107 दिनांक 15.10.2022 प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/3968 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/3357/एक्ट/2022/3408 दिनांक 22.11.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **शहद (वी–प्योर ब्रण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से श्री विपुल मंगल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य प्रदार्थ सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ वारन्टी बिल के आधार पर निर्माता फर्म से क्रय किया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। अप्रार्थी सं0 3 व 4 रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के बावजूद अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **शहद (वी–प्योर ब्रण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरेक्त जिला माजस्ट्रट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **शहद (वी–प्योर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी सं0 3 व 4 को निर्णय की सूचना हेतु पत्र लिखा जावें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक